HRA Saxette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY HOS 10/2/99

सं० 706] No. 706] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 1998/कार्तिक 7, 1920 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 1998/KARTIKA 7, 1920

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1998

का०आ० 934(अ).—जीवजन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की घारा 5 क की उपधारा (1) के साथ पित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तरों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों को अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 495(अ) दिनांक 9 जून, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

ठपरोक्त अधिसूचना में क्रमांक संख्या (22) के बाद व उससे संबन्धित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रमांक संख्याएं व प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :---

''(23) हा. के.बी. लोगानी

धारा 5 (1)(भ) के अधीन मामित

उप महानिदेशक (एम.) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

निर्माण भवन,

मई दिल्ली-110011

(24) डा. करतार सिंह धीमन

धारा 5 (1)(भ) के अधीन नामित

वरिष्ठ व्याख्याता,

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय

पोपरोला—176115

हिमाचल प्रदेश

(25) श्री गिरिधर गमांग

धारा 5 (1) (इ) के अधीन चयित

संसद सदस्य (लोक सभा) 108, वी.पी. हाउस

नई दिल्ली-110001

(26) श्री आदित्यनाथ धारा 5 (1)(इं) के अधीन चयनित संसद सदस्य (लोक सभा) 125, नार्थ एवेन्य नई दिल्ली-110001 श्री प्रसन्ना आचार्य (27) धारा 5 (1)(इ) के अधीन चयनित संसद सदस्य (लोक सभा) 1104, उड़ीसा भवन नई दिएली प्रो. सैफुद्दीन सोज (28) धारा 5 (1)(झ) के अधीन चयमित संसद सदस्य (लोक सभा) 7. तुगलक रोड.

> [फा॰ सं॰ 1-15/97-ए.डब्ल्यू] एम.एस. अहमद. संयक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1998

S.O. 934 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby notifies the names of the following persons on the Animal Welfare Board of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 495(E) dated the 9th June, 1998 namely:—

In the said notification after serial number (22) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"(23) Dr. K.B. Logani,

नई दिल्ली-110011

nominated under section 5(1)(d)

Deputy Director General (M),

Directorate General of Health Services,

Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

Du Vanton Cinch Dhie

nominated under section 5(1)(d)

(24) Dr. Kartar Singh Dhiman,

Senior Lecturer, Government Ayurvedic college,

Poprola-176115

Himachal Pradesh.

(25) Shri Girdhar Gamang,

elected under section 5(1)(i)

Member of Parliament (Lok Sabha),

108, V.P. House,

New Delhi-110001.

(26) Shri Adityanath,

elected under section 5(1)(i)

Member of Parliament (Lok Sabha),

125, North Avenue,

New Delhi-110001.

(27) Shri Prasanna Acharya,

elected under section 5(1)(i)

Member of Parliament (Lok Sabha),

1104, Orissa Bhavan,

New Delhi.

(28) Prof. Saifuddin Soz,

`

Member of Parliament (Lok Sabha),

7, Tuglak Road,

New Delhi-110011.

elected under section 5(1)(i)"

[F. No.1-15/97-A.W.] M.S. AHMAD Jt. Secy.